दिनांक 08.04.2021	प्रेस विज्ञप्ति 08/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना शिवरतनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंगुरी मोड के पास से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नीरज निवासी पूरे ठकुराईन मजरे कोलवा थाना सुवेहा जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना भलुअनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा व जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना भलुअनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वादीपुर तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जो थाना कोतवाली देवरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2020 धारा 147/307/34 भादवि, मु0अ0सं0 528/2020 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0सं0 196/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भलुअनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित कुमार निवासी सेमरा हर्दो थाना कुँबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा व जीवित कारतूस।

<u>जनपद मेरठ/थाना भावनपुर</u>

- **05 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की अवैध शराब**
- **01 किलोग्राम अवैध चरस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना भावनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी के पास से चेकिंग के दौरान 05 मादक पदार्थ तस्कर 1—परवीन उर्फ पिन्टू, 2—संजू, 3—नीरज पुत्र जगराम, 4—नीरज पुत्र अतर 5—कुँवरपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की अवैध शराब, 01 किलोग्राम अवैध चरस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित, खोखा कारतूस, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त परवीन उर्फ पिन्टू के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—परवीन उर्फ पिन्टू निवासी मुरलीपुर थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

2—संजू निवासी हसनपुर कदीम थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

3—नीरज पुत्र जगराम निवासी हसनपुर कदीमपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

4–नीरज पुत्र अतर निवासी हसनपुर कदीमपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

5–कुँवरपाल निवासी छोटा हसनपुर कदीमपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की अवैध शराब।

2–01 किलोग्राम अवैध चरस।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित, खोखा कारतूस।

4–02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुटार

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा खुटार के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त रामौतार उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शहाजहाँपुर व जनपद खीरी के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामौतार उर्फ कालिया निवासी भदईया ग्रन्ट लंदनपुर थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी हालपता मोहल्ला देवस्थान कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हरदोई/थाना अरवल

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित, खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना अरवल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बानामऊ नदी के किनारे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त श्रीपाल उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित, खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अरवल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—श्रीपाल उर्फ गुड्डू निवासी जरौली नेवादा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1—07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—जीवित व खोखा कारतूस।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद जालौन/थाना डकोर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित व खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना डकौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैसारी खुर्द क्षेत्र से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त नन्द किशोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 12 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना डकोर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नन्द किशोर निवासी जैसारी खुर्द थाना डकोर जनपद जालौन।

<u>बरामदगी</u>

1—08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—12 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 100 पेटी अवैध शराब**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नारंगपुर तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1–पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी, 2–मीनू, 3–अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 100 पेटी अवैध शराब, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी निवासी फोंदापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

2–मीनू निवासी गढ़ मीरकपुर थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा।

3–अजय कुमार निवासी रोडा थाना खरकोदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 100 पेटी अवैध शराब।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.04.2021 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजनौर रोड़ भूरपुर के पास से चेकिंग के दौरान 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश उर्फ लालू निवासी पुराना गोविन्दपुरा थाना जगतपुरी शहादरा नई दिल्ली।

जनपद सुलतानपुर/थाना लम्भुआ

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर व जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना लम्भुआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाई–वे नरहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास से चेकिंग के दौरान 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दयाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, सुलतानपुर, जौनपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लम्भुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 482/2020 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0सं0 558/2020 धारा 394/308 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दयाराम निवासी रमगढ़ा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—लूट के नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर व जीवित कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल बरामद

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01—01 लाख रूपये के अर्थदण्ड)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश—6 स्पेशल जज द्वारा थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 364ए/120बी/302/201/404 भादवि में 04 अभियुक्तों 1—रोहन सिंगल, 2—पवन कुमार, 3—मुकेश कुमार, 4—गोपाल उर्फ रामगोपाल को आजीवन कारावास की सजा एवं 01—01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट, थाना हीमपुर दीपा, थाना तिरथपुर, थाना नांगल, थाना अफजलगंज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 20 लाख 19 हजार रूपये से अधिक कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले सुखलाल आदि 05 अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख 19 हजार रूपये से अधिक को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 15 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी मो0 रफीक द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 15 लाख 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———————